

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, का कार्यालय

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002

Admn-11/G-4/का.आ.स./

दिनांक:- 15.05.2026

कार्यालय आदेश- 32

कार्यालय कार्यविधि नियमावली के पैरा 2.08 के अनुसार मुख्यालय पर पदस्थ कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा बाह्य लेखा-परीक्षा विभाग नियमावली के पैरा 1.29 के अनुसार दौरे पर कार्यरत कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के कैम्प नहीं छोड़ेंगे।

अतः इस कार्यालय के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय/कैम्प छोड़ने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त नियमों के विपरीत मुख्यालय/कैम्प छोड़ना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसे कदाचार माना जाएगा तथा संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

As per Para 2.08 of the Office Procedure Manual, employees posted at Headquarters shall not leave the Headquarters without prior permission. Further, as per Para 1.29 of the External Audit Department Manual, employees on tour shall not leave the camp without prior approval.

Accordingly, all employees of this office are hereby directed to ensure that prior permission of the competent authority is obtained before leaving the Headquarters/Camp.

Leaving the Headquarters/Camp in violation of the above provisions is not only objectionable but also amounts to misconduct, and disciplinary action may be initiated against the concerned employee(s).

(महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र. ग्वालियर ।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, ए.एम.जी-1, ए.एम.जी-2 ए.एम.जी-3 ए.एम.जी-4, ए.एम.जी-5 ।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस विंग को कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12, 13, 14, फास (एम), हिंदी कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, आई.एस विंग, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, SMU & Coordination-AMG-1,2,3,4&5, आई.टी.ए., रिपोर्ट-1, रिपोर्ट-2, रिपोर्ट-पी.ए.सी, ए.पी.एस.एम.यू।
5. महामंत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन, ग्वालियर।
6. महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
7. महामंत्री / ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
8. श्री यशवर्धन गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष इन्टरनेट एवं इंटरनेट संबंधी कार्य हेतु।

हार्ड कॉपी के माध्यम से

1. सूचना पटल
2. गार्ड फाइल

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11